न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 43/2020 निर्णय दिनांकः 24-5-22
(जीसीएमएस संख्या 2020/00201)

1. भूरीदेवी पत्नी जगमालाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरी देवी पत्नी भागीरथराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
दिनांक 27—02—2020

उपस्थितः

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—02—2020 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के वाके ग्राम सालिया के खेत खसरा नम्बर 167/79 रकबा 1.27 हेक्टर भूमि अपीलांट् भूरीदेवी व खेत खसरा नम्बर 78 की अपीलाट् भंवरीदेवी की खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम चक सालिया के खसरा नम्बर 167/78 रकबा 1.27 हेक्टर भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण वादपत्र स्वीकार किया जाकर तादादी 0.50 हेक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त वादपत्र संबंधित तहसीलदार द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16–03–2018 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। उक्त रिपोर्ट पटवारी में में अभिलिखित किया गया था कि राजस्व रिकार्डनुसार भूरी देवी पत्नी जगमालाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी खातेदार दर्जशुदा है तथा वादग्रस्त भूमि पर अवैध ईंट भट्टे के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 167/79 के मूल रूप में परिर्वतन हुआ है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट् के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में ईंट भट्टा संचालित होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि ईंट भट्टा कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

उन्होनें आगे न्यायालय का ध्यान अदालत मातहत की आदेशिओं की और आकर्षि करवाते हुए कथन किया कि वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली जवाब हेतु निर्धारित चल रही थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलांट् को बिना तामील व बिना जवाब प्राप्त किये एकतरफा तौर पर जवाब बन्द करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में जब पटवारी रिपोर्ट में भी अभिलिखित किया गया है कि मौके पर भट्टे का संचालन भागीरथराम रेगर द्वारा किया जा रहा है। इससे साबित है कि अपीलांट जोकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है के द्वारा वादगत् भूमि अवैध ईंट भट्टा संचालन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28–03–2018 की तरफ करवाया गया। जिसकी पुश्त पर जेठाराम (मुनीम) के हस्ताक्षर अंकित है, जिसे अपीलांट्स पर तामील मानते हुए अपीलांट्स के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत की गई कार्यवाही मानी जाती है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्याय प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए व वादपत्र के निर्धारित मापदण्डों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–02–2020 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट् की अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात ईंट भट्टे का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य ईंट भट्टे का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत में अभिलिखित किया गया कि वह मौके पर पहुॅचा तथा मौके पर उक्त रकबे पर अवैध ईंट भट्टा पूर्व में होना पाया गया इसके साथ ही अभिलिखित किया गया कि उक्त भट्टा का संचालन भागीरथराम रेगर द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार अपीलांट्स द्वारा जिससे वादगत् भूमि पर क्या वास्तव में ईंट भट्टे का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी तैयार किया जाना साबित है।

(3) यहा यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पालना में मौके पर पहुॅचा। इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर अवैध

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ईंट भट्टे के संचालन किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार

को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य ईंट भट्टा किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। इन सभी से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने दायित्यों का भलींभांति निर्वहन नहीं किया गया है।

(4) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया था कि ग्राम सालिया के खेत खसरा नम्बर 167/79 रकबा 1.27 हेक्टर भूमि पर अवैध ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है जिसे राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यू किया जावे। उक्त वादपत्र पर अपीलांट्स को दिनांक 28–03–2018 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामील होने के आश्य की जॉच किये जाने पर यह अभिलिखित होना पाया गया कि नोटिस की एक प्रति सायल के मुनीम को देकर करवा दी गई है। जबकि तामील के संबंध में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संबंधित व्यक्ति पर तामील होने पर ही तामील मानी जाकर उनक विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मुनीम पर हुई तामील को पूर्ण तामील मानते हुए तामील की सुनिश्चितता किये बिना व बिना जवाब प्राप्त किये आदेश जैर अपील पारित होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(5) उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध ईंट भट्टा कब संचालित हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 27–02–2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का पुनः निस्तारण करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/5/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर